



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-09072026-274319
CG-OR-E-09072026-274319

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3536]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3536]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 8 जुलाई, 2026

का.आ. 3698(अ).— केंद्र सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	राजाठगढ़ जंक्शन और कईपादर रोड (92.59 किमी) भुवनेश्वर एवं खुर्दा रोड जंक्शन को बाईपास करते हुए पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत नई रेल लाइन, का निर्माण।	ओडिशा

[फा. सं. CE/CON/II/BBS/RJGR-KPXR New Line/SRP]

एच. अनंतरामन, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 8th July, 2026

S.O. 3698(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Railway (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby notifies the following project as special railway project as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazettee.

TABLE
SPECIAL RAILWAY PROJECT

S.No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Construction of Rajathagarh jn. to Kaipadar Road (92.59 Km) bypassing Bhubaneswar & Khurda Road jn. Under Khurda Road Division of East Coast Railway.	Odisha

[F. No. CE/CON/II/BBS/RJGR-KPXR New Line/SRP]

H. ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Con-II)